14/3/18

9/5/18

9/5/18

13/6/18

12/6/18

पत्रावली अग्रिम सुनवाई
हेतु आज दिनांक 12.6.18 को प्रस्तुत हुई
उभय पक्ष की उपस्थिति में धारा 21 पर
गहन चर्चा करते हुए यह प्रकाश में
लाया गया कि प्रस्तुत विवाद के
निस्तारण हेतु संबंधित अधिनियम के
अन्तर्गत गठित विवाद निस्तारण का प्रकरण
होने पर सक्षम न्यायालय ही संबंधित
अधिनियमों अर्थात धारा 21 एवं
1955 की धारा 21 के अन्तर्गत
विवाद निस्तारण की अपनी निर्धारित
पात्रता का अधिकारी नहीं होने से प्रस्तुत
प्रकरण धारा 21 एवं अधिनियम
के अन्तर्गत निर्णय नहीं पाकर मेरे क्षेत्राधिकार
से बाहर है।

अध्यक्ष
लोक अदालत एवं
उपखण्ड अधिकारी

12/6/18

रामचन्द्र